भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्‍य सभा

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1578**

1 जनवरी, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

**बुनकरों द्वारा आत्महत्या**

**1578. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:**

 **श्रीमती छाया वर्मा:**

 **चौधरी सुखराम सिंह यादव:**

क्या वस्‍त्रमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2011 में बुनकरों द्वारा आत्महत्या के संबंध में दी गई भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किन-किन बिन्दुओं की ओर इशारा किया गया है और मंत्रालय द्वारा उनके समाधान हेतु अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग पर माल और सेवा कर लगाए जाने के कारण इस उद्योग की समस्याएं और बढ़ी हैं; और

(ग) वर्तमान में बुनकरों से उनके उत्‍पादों के लिए किस स्‍तर पर कितना माल और सेवा कर वसूला जा रहा है?

उत्तर

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में मार्च 2011 में बुनकरों के समक्ष आ रही निम्‍नलिखित समस्‍याओं का उल्‍लेख किया है:-
* हथकरघा बुनाई एक परम्‍परागत और वंशानुगत व्‍यवसाय है जिसमें उपभोक्‍ताओं की पसंद, प्रौद्योगिकी के संरक्षण और विपणन के तौर तरीकों में बदलाव के बारे में प्रदर्शन, जागरूकता और जानकारी के अभाव में उत्‍पादन और डिज़ाइनों के परम्‍परागत तरीकों का उपयोग किया जाता है ।
* विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा निर्मित उत्‍पादों से प्रतिस्‍पर्धा ।
* कम आय होने से युवा पीढ़ी इस व्‍यवसाय को अपनाने/जारी रखने के प्रति अनिच्‍छुक है ।
* हैंक यार्न और रसायनों की कीमतों में अत्‍याधिक वृद्धि होना और उनकी उपलब्‍धता नही होना ।
* वित्‍तीय संस्‍थानों से अपर्याप्‍त ऋण ।
* अपर्याप्‍त विपणन अवसंरचना ।
* उत्‍पादन संबंधी दबाव, व्‍यवसायगत स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी जोखिम और सामाजिक सुरक्षा उपायों की कमी ।

बुनकरों की उपरोक्‍त समस्‍याओं के समाधान के लिए विकास आयुक्‍त (हथकरघा) कार्यालय, वस्‍त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्‍नलिखित उपाय किए हैं:-

* हथकरघा बुनाई के परम्‍परागत कौशल ने हमारी सांस्‍कृतिक विरासत के संरक्षण और क्षेत्र को विद्युत करघा और मिल निर्मित वस्‍त्रों से प्रतिस्‍पर्धा से संरक्षण प्रदान करने की जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए विकास आयुक्‍त (हथकरघा) कार्यालय के नियंत्रणाधीन बुनकर सेवा केंद्र उन्‍नत तकनीकों और नए डिज़ाइनों के प्रचार - प्रसार के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं की व्‍यवस्‍था कर रहे हैं । वे डिज़ाइनरों, उत्‍पादकों और क्रेताओं के बीच संपर्क स्‍थापित करके विपणन सहायता प्रदान कर रहे हैं ।
* बुनकरों को उनकी आय में सुधार लाने के लिए उनकी उत्‍पादकता में वृद्धि करने के लिए गुणवत्‍तापरक उच्‍चकोटि के उत्‍पाद तैयार करने के लिए करघे और सहायक सामान प्रदान किए जाते हैं ।
* हथकरघा बुनकरों को मिलगेट कीमत पर यार्न उपलब्‍ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्‍त हथकरघा क्षेत्र/बुनकरों को विद्युत करघा और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्‍पर्धा करने योग्‍य बनाने के लिए कॉटन, घरेलू सिल्‍क और वुलन हैंक यार्न पर मात्रात्‍मक सीमा के साथ 10% की सब्सिडी प्रदान की जाती है ।
* बुनकर मुद्रा योजना के तहत 6% की रियायती ब्‍याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है । साथ ही 10,000 रूपये तक मार्जिन राशि और ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है ।
* बुनकरों को सशक्‍त बनाने और बुनकर परिवारों के बच्‍चों को कैरियर उन्‍नति के योग्‍य बनाने के लिए वस्‍त्र मंत्रालय ने हथकरघा बुनकरों और उनके बच्‍चों को मुक्‍त विद्यालयी और दूरस्‍थ शिक्षा के माध्‍यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय मुक्‍त विश्‍वविद्यालय (इग्‍नू) और राष्‍ट्रीय मुक्‍त विद्यालयी शिक्षा संस्‍थान (एनआईओएस) के साथ अलग अलग समझौता ज्ञापन हस्‍ता‍क्षरित किए हैं । वस्‍त्र मंत्रालय इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और महिला शिक्षार्थियों के मामले में एनआईओएस/इग्‍नू द्वारा प्रस्‍तावित पाठ्यक्रमों में प्रवेश की फीस के 75% की प्रतिपूर्ति कर रहा है ।
* बुनकरों को विपणन मंच प्रदान करने के लिए हथकरघा विपणन सहायता योजना के तहत राष्‍ट्रीय/विशेष हथकरघा एक्‍सपो, जिला स्‍तरीय आयोजन किए जाते हैं । बुनकरों को हथकरघा उत्‍पादों की बिक्री के लिए देश के विभिन्‍न भागों में आयोजित विभिन्‍न शिल्‍प मेलों में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की जाती है । हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई विपणन पहल के रूप में ई-कॉमर्स प्‍लेटफार्म भी अनुबंधित किया गया है ।
* उच्‍च गुणवत्‍ता के हथकरघा उत्‍पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड शुरू किया गया है ।
* हथकरघा क्‍लस्‍टरों में कार्य करने के लिए और स्‍थानीय बुनकरी वाले फैब्रिक का उपयोग करके फैशन वाले गारमेंट डिज़ाइन करने के लिए प्रतिष्ठित डिज़ाइनरों के साथ समझौता ज्ञापन हस्‍ताक्षरित किए गए हैं ।
* हथकरघा गारमेंट की एक पृथक रेंज को ब्रांड में शामिल करने के लिए विभिन्‍न अग्रणी ब्रांड के साथ पहल की गई है । बीबा, पीटर इंग्‍लैंड और ओनाया ने हथकरघा गारमेंट की एक पृथक रेंज आरंभ की है ।
* हथकरघा बुनकर व्‍यापक कल्‍याण योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को स्‍वास्‍थ्‍य बीमा तथा जीवन बीमा सुविधा उपलब्‍ध है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 20 लाख से कम के कारोबार के लिए वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) छूट उपलब्‍ध है । हथकरघा क्षेत्र में यार्न और वस्‍त्र के लिए लागू जीएसटी की दर 5% है । 1000 रूपये से कम के बिक्री मूल्‍य वाले परिधान/गारमेंट के लिए जीएसटी दर 5% और 1000 रूपये से अधिक के लिए 12% है ।

**\*\*\*\***